न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 146/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/264**
दायर दिनांक :– 25.06.2025   **निर्णय दिनांक :– 09.09.2025**

1. इलमदीन पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. अब्दुल शकूर पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
3. सिकन्दर पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. मदीना खातून पत्नी गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. नेक मोहम्मद पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी के मूल खसरा नम्बर 979 कुल रकबा 7.3572 है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2075 से 2078 संलग्न वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में से अपने बंट की 27/101 हिस्सा यानी रकबा 1.9667 है0 भूमि का बख्सीशनामा वादीगण के पक्ष में दिनांक 04.12.2024 को निष्पादित किया गया जो बख्सीशनामा उप पंजीयक बाप में दिनांक 04.12.2024 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 335 पृष्ठ संख्या 80 कम सं. 202403079103182 पर पंजीबद्व किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था उस दिन से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी बख्सीशनामा से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके व पशुओ के बाड़े आदि बना रखे है तथा वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। वादीगण ने उन्ही दिनो तत्कालीन पटवारी हल्का को बख्सीशनामा की छाया प्रति राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भरने हेतु दे दी थी लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि माफिक बख्सिशनामा का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में नही भरा गया। इसलिए वादीगण माफिक बख्सीशनामा दिनांक 04.12.2025 अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसका यह वाद पेश है।

09/09/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर रिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जबाव पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने अपना जबाव पेश कर बताया कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप के ख.नं. 979 रकबा 7.3572 है0 के खातेदार नेक मोहम्मद ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 12.03 बीघा दिनांक 04.12.2024 को बख्सीश कर दिया था। उक्त बख्सीशनामा के आधार पर नामान्तकरण नहीं भरा गया। उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व अन्य ने बख्सीश के बाद में बंटवाड़ा कर लिया था जिसके आधार पर नये खसरा नं. 2492/979 रकबा 1.9668 है0 प्रतिवादी सं. 1 के नाम से सृजित हुआ। नये खसरा नम्बर सृजित होने से वादीगण के नाम बख्सीशनामा अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत नही हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर देकर वादीगण के नाम बख्सीशनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाना उचित है। वाद में प्रतिवादी की और से विरोध नही होने से तनकियात कायम करने की आवश्यकता नही है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा गवाह मदीना खातून के साक्ष्य दर्ज करवाए। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी के मूल खसरा नम्बर 979 कुल रकबा 7.3572 है0 भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में से अपने बंट की 27/101 हिस्सा यानी रकबा 1.9667 है0 भूमि का बख्सीशनामा वादीगण के पक्ष में दिनांक 04.12.2024 को निष्पादित किया गया जो बख्सीशनामा उप पंजीयक बाप में दिनांक 04.12.2024 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 335 पृष्ठ संख्या 80 कम सं. 202403079103182 पर पंजीबद्व किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था उस दिन से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी बख्सीशनामा से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके व पशुओ के बाड़े आदि बना रखे है तथा वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। वादीगण ने उन्ही दिनो तत्कालीन पटवारी हल्का को बख्सीशनामा की छाया प्रति राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भरने हेतु दे दी थी लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि माफिक बख्सिशनामा का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में नही भरा गया। इसलिए वादीगण माफिक बख्सीशनामा दिनांक 04.12.2025 अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी के मूल खसरा नम्बर 979 कुल रकबा 7.3572 है0 भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में से अपने बंट की 27/101 हिस्सा यानी रकबा 1.9667 है0 भूमि का बख्सीशनामा वादीगण के पक्ष में दिनांक 04.12.2024 को निष्पादित किया गया जो बख्सीशनामा उप पंजीयक बाप में दिनांक 04.12.2024 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 335 पृष्ठ संख्या 80 क्रम सं. 202403079103182 पर पंजीबद्व किया गया है। लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि माफिक बख्सिशनामा का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में नही भरा गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर लिया गया जिसका नामान्तरकण भरा जाकर स्वीकृत

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हुआ जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का खाता अलग दर्ज किया गया जिसके खसरा नम्बर 2492/979 दर्ज किये गये। इसलिए वादीगण को माफिक बख्सीशनामा दिनांक 04.12.2025 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 2492/979 में खातेदार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात से साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी के नवसृजित खेत खसरा नम्बर 2492/979 रकबा 1.9668 हैक्टेयर भूमि में माफिक बख्सीनामा दिनांक 04.12.2024 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

09/9/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. इलमदीन पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. अब्दुल शकूर पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
3. सिकन्दर पुत्र नेकू खान जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. मदीना खातून पत्नी गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. नेक मोहम्मद पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी जैतड़ासर तह. बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 146/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम बोरानाडा पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी के नवसृजित खेत खसरा नम्बर 2492/979 रकबा 1.9668 हैक्टेयर भूमि में माफिक बख्सीनामा दिनांक 04.12.2024 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक   बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर   फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक   को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल,R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकः का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।